बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

सं.–03/आ.1–130/2016 ..../श्री सुरेश प्रसाद, प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा सम्प्रति सेवानिवृत्त को राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के पत्रांक–6902 दिनांक 16.09.2016 द्वारा समर्पित आरोप पत्र प्रपत्र–क में गठित आरोपों यथा जिला पदाधिकारी भोजपुर–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारी समिति, बिहार शिक्षा परियोजना, भोजपुर द्वारा सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अतिरिक्त वर्ग कक्षा के निर्माण हेतु अनुमोदित सूची को स्वेच्छानुसार बदलकर नए विद्यालयों का अतिरिक्त वर्ग कक्षा के निर्माण हेतु राशि निर्गत कर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता एवं गबन में संलिप्तता के आरोपों में विभागीय अधिसूचना संख्या–155 दिनांक 20.05.2020 द्वारा निम्नवत दंड संसूचित किया गया है –

a. 10 प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक।
b. जब तक नीलाम वाद का फैसला नहीं आता है अथवा पूर्ण राशि वसूल नहीं हो जाती है तब तक उपादान एवं अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि का भुगतान लंबित रहेगा।
c. निलंबन अवधि के बकाया वेतन के संबंध में अलग से कारण पृच्छा पूछ कर निर्णय लिया जाएगा।

2. श्री प्रसाद द्वारा दंडादेश के संबंध में पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया है।

3. श्री सुरेश प्रसाद के पुनर्विलोकन अर्जी की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी है। समीक्षा में यह पाया गया है कि जो बातें इन्होंने अपने पुनर्विलोकन आवेदन में अंकित की हैं, उनकी सम्यक विवेचना जाँच–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा की गई है और प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा समीक्षोपरांत तथा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्शोपरांत उपर्युक्त शास्ति अधिरोपित की गई है। श्री प्रसाद ने अपने अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य नहीं रखा गया है और गंभीर वित्तीय अनियमितता कारित करने के कारण इन्हें वृहत शास्ति दी गई है, जिसमें गबनित राशि की पूर्ण वसूली नहीं हो पाने अथवा नीलाम पत्र वाद का निर्णय नहीं होने के प्राप्त प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में दंडादेश को निरस्त अथवा परिवर्तित करने का कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

4. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ01–130/2016 I/354302 पटना, दिनांक– 22/01/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/प्रभारी पदाधिकारी (वै0दा0नि0को0), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर/ श्री सुरेश प्रसाद, प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा सम्प्रति सेवानिवृत्त (पता :– पिता–जगन्नाथ राम, माँ आनंद मई कॉलोनी, बी0आर0 अम्बेदकर रोड, खोजा इमली, फुलवारी, पटना–801505)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 22-01-2026 18:39:34